

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4395/12-1 चम्पावत, दिनांक 9-6-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। (Online No-FP/UK/ROAD/31090/2017)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/112/2018/एफ0सी0 /1109, दिनांक 16.03.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, लोहाघाट की पत्र संख्या 553/चम्पा0बाईपास दिनांक 02.06.2023।

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 हे0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन, जिस पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के द्वारा 4 बिन्दु की आपत्ति लगाई गयी, जिस हेतु अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट द्वारा आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र.स.	आपत्ति	निराकरण
1	Referring to point 2 of EDS, it has been Noted that the proposed road intersects with 11 existing link roads, however, the necessary NoCs repuired for this intersection have not been provided and need to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित बाईपास लोक निर्माण विभाग चम्पावत के 11 सड़कों के कुछ भाग को काट रहा है। अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग चम्पावत से अनापत्ति ले ली गयी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
2	Upon review of the response provided regarding Poing 5 of the EDS, it appears that the cutting work for the proposed road will be carried work out on a 14 on the hillside, which means the felling will only be done on this 14 m Row, The State Government is requested to provide a separate list of trees within the 14m width, and the concerned DFO is requested to indicate how many trees will be affected and how many trees will be affected and how many need to be felled for the proposal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 24 मीटर में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया गया है। आपके निर्देशानुसार 14 मी0 चौड़ाई में पेड़ों की पुनः गणना की गयी है। जिसके अनुसार 14 मी0 चौड़ाई में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 1709 है। तथा 24 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की संख्या 2346 है।
3	The DSS analysis of the CA area indicates that patch one Overlaps with the area of 6.68 ha proposed for CA in proposals FP/UK/ROAD/38399/2019 AND FP/UK/ROAD/42256/2019, Clarifications and necessary need to be made reagarding this matter	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्व में दिये गये थे उन स्थलों को संसोधित कर पूर्वी देवीधूरा-धूनाघाट कक्ष संख्या 22 क्षेत्रफल 5.5 हे0 एवं कक्ष संख्या 25 क्षेत्रफल 7 हे0 तथा पूर्वी क्रान्तेश्वर कक्ष संख्या 11 अ क्षेत्रफल 6 हे0 कुल 18.5 हे0 के डिजिटल मैप, जियो रिफ्रेन्स मैप एवं गूगल मैप में हस्ताक्षर उपरान्त 5-5 प्रति संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है।
4	The KML file of the CA area is not currently available on the online portal The state Government is requested to upload the KML File of the CA area in Part II Para 13	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 ऑनलाईन के भाग 13 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,



(आर.सी.काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 4395 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।



(आर.सी.काण्डपाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।